फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/114

बअनवान सुरेश कुमार बनाम ठाकुरदत्त वगैरा

र्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 के प्रति के अनुसार वादग्रस्त भूमि बिसलपुर के खसरा नं. 972, 978, 981, 982, 979, 980 कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.48 हैक्टर के खातेदार चुना, खुमाराम, पि. हिमता 1/2 गुरू आसाराम ताराचन्द्र बाबुलाल मगाराम पी. केसाराम 1/2 कौम जटिया सा. खातेदार दर्ज होना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध सेग्रीगेशन पश्चात् की वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2076–2079 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि में चुना पुत्र हिमता गर्ग के वारिशान अर्थात् कनियादेवी पुत्री चुनाराम 1/16 हिस्सा, गुलाबराम पुत्र चुनाराम 1/16 हिस्सा, जमनादेवी पत्नि चुनाराम 1/16 हिस्सा, सुरेशकुमार पुत्र चुनाराम 1/16 हिस्सा अन्य सह खातेदारान् के साथ दर्ज होना भी प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.03.2023 की प्रति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के द्वारा अपना निहित 1/16, 1/16 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बेचान किया जाना प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या–05 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी खरीदशुदा भूमि का पुनः बेचान अप्रार्थी संख्या–05 को कर दिया है। परंतु इस बेचान के दस्तावेज की प्रति पेश नहीं की है। प्रार्थी ने इस भूमि के रिकार्ड में सह खातेदार रहे अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से उनको छद्म खातेदार मानते हुये उनके हिस्से की खातेदारी भूमि की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। तथा साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का बिना कब्जे व बिना विभाजन के अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा किया गया बेचान विधि विरूद्व होने से खरिदकर्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं प्रस्तुत तथ्यो के अध्ययन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ यथा प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दुओ की कसौटी पर प्रकरण का परीक्षण करने पर ज्ञात है कि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में अपने पिता की भूमि जिस पर प्रार्थी का काश्त व कब्जा है तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 जो कि बिसलपुर में न रहकर अन्यत्र निवासरत होने से उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को आधार बनाते हुये भूमि का बेचान किया है तथा पुनः बेचान अप्रार्थी संख्या 05 को किया है। जो बिना कब्जे के बेचान होने से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 व 05 के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों की घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है। जिसके निस्तारण में समय लगेगा। एवं यदि इस दौरान अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल करते है तो मौका स्थिति में परिवर्तन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा साथ ही मौका स्थिति में परिवर्तन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर प्रार्थी को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को तत्कालिक कोई असुविधा व आर्थिक कठिनाइ होना संभाव्य नहीं है। इस संबंध	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त (1) आर.आर.टी. 2018–19(supp.) पेज 497 (2) आर.आर.डी 1996 पेज 148 (3) ए. आई.आर. 2009 S.C. पेज 2735 में प्रतिपादित सिद्धांत भी हस्तगत् प्रकरण पर सटीक है। इसके विपरित अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत 2020 डी.एन.जे. (Rev.) पेज 45 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा निर्धारित बिन्दु 1. प्रथम दृष्टया मामला बनना 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किये जाने के पश्चात प्रार्थी अनुतोष अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 972, 978, 981, 982, 979, 980 कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.48 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा की जाने वाली दखलअन्दाजी कार्यवाही व भूमि हस्तांतरण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को रोका जाना न्यायसंगत है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 972, 978, 981, 982, 979, 980 कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.48 हैक्टर के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner